एफ.सं. डब्ल्यू-02/0004/2014-डीपीई(मजूरी कक्ष)-जीएल-.XIV../..2022

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

लोक उद्यम भवन,
ब्लॉक सं. 14, सीजीओ कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 06th जुलाई, 2022

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय :-केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में निदेशक मण्डल स्तर और निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के पदों, गैर-संगठित पर्यवेक्षकों सहित, के लिए 01.01.1997 से संशोधित वेतनमान में – औद्योगिक महंगाई भत्ते का संशोधित दर से भुगतान संबंधित।

*****

अधोहस्ताक्षरी को लोक उद्यम विभाग के दिनांक 25.06.1999 के कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध-III का संदर्भ लेने का निर्देश हुआ है जिसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में निदेशक मण्डल स्तर तथा निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के अधिकारियों और गैर-संगठित पर्यवेक्षकों को देय महंगाई भत्ते की दरों का उल्लेख किया गया है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अधिकारियों और गैर-संगठित पर्यवेक्षकों को देय मंहगाई भत्ते की दर **दिनांक 01.07.2022 से 391.0% है।**

2. मंहगाई भत्ते की उपरोक्त दर, अर्थात 391.0%, औद्योगिक महंगाई भत्ता पाने वाले उन कर्मचारियों के मामले में लागू होंगी जिनके मामले में लोक उद्यम विभाग के दिनांक 25.06.1999 के कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार संशोधित वेतनमान (1997) की स्वीकृति दी गई है।

3. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त को आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संज्ञान में लाएं।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

06/7/22
(एम.आर. मीना)
उप सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में वित्तीय सलाहकार ।
3. व्यय विभाग, स्था.-।। शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली ।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

(एम.आर. मीना)
उप सचिव